राष्ट्रीय सहारा, 2-5-16, पृ 2

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने शुरू कीं कई योजनाएं

■ नई दिल्ली।

सहारा न्यूज ब्यूरो

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक को दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत चुना गया है ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने आजीविका का संकट न आने पाए। सिंह ने कहा कि आपदा राहत में यूपीए सरकार के कार्यकाल में भले ही राज्यों के साथ भेदभाव हुआ हो, लेकिन मोदी सरकार ने राहत देने में कहीं भी कंजूसी नहीं दिखाई। सूखे से निपटने के लिए 10 राज्यों को 2551 करोड़ रु दिए गए हैं ताकि कहीं कोई संकट की स्थिति न बने। यूपीए राज में राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से चार साल में एक लाख करोड़ मांगे थे, लेकिन दिए गए महज 13762 करोड़ रु जबकि मोदी राज में 2014-15 में 42 हजार करोड़ मांगे गए और 9017.99 करोड़ से ज्यादा दिए गए।

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने 'राष्ट्रीय सहारा' से कहा कि केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कई स्तरीय योजना बनाई है ताकि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। जहां काम नहीं है वहां काम दिए जाएंगे और जहां पानी का संकट है वहां पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। आजीविका के माध्यम से लोगों को राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं तो जल सुरक्षा और सूखे से बचाने के उपाय भी हो रहे हैं। सिंह ने कहा कि लगातार दो वर्ष से सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय अनुसंधान कृषि शुष्क भूमि संस्थान ने कृषि उत्पादन के लिए देशभर के 600 जिलों के लिए अलग से योजना बनाई है।

अंत्योदय मिशन से जोड़कर काम दिलाने की कोशिशें शुरू

राहत मानक भी बदले : कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए पूरी तरह संकल्पवद्ध है, इसीलिए पुराने मापदंड बदल कर नए ऐसे मापदंड बनाए गए है ताकि किसानों को फसल के नुकसान पर ज्यादा फायदा हो। 33 प्रतिशत फसल खराब होने पर भी राहत मिलेगी जबकि पहले 50 यह फीसद पर था।

आपदा कोष भी बढ़ाया : राधामोहन सिंह ने कहा कि पांच वर्ष में राज्य आपदा कोष में 33580.93 करोड़ यूपीए राज में मिले जबकि मोदी सरकार में 61हजार 219 करोड़ रु दिए गए। आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूखा प्रभावित 10 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान के तहत पहली किस्त के रूप में 2551 करोड़ रु जारी कर दिए। सूखा प्रभावित राज्यों के पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की राशि के समायोजन के बाद 10,275 करोड़ रु की राशि जारी की जानी थी जिसमें से 31 मार्च, 2016 को 6055 करोड़ रु जारी कर दिए गए और 8 अप्रैल को 4220 करोड़ रु जारी किए गए। सिंह ने कहा कि सूखा प्रबंधन नियमावली 2009 में सूखे की घोषणा करने के लिए जिन चार मानकों का निगरानी के कारकों में आवश्यक माना गया है उसमें वर्षा की कमी, बोये गए क्षेत्र की सीमा, सामान्य वनस्पति सूचकांक अंतर और आर्द्रता सूचकांक शामिल है।

आपदा में भेदभाव नहीं : सिंह ने बताया कि अकेले यूपी में 2009 -10 एवं 2013-14 में कुल मदद 785 करोड़ की दी गई जबकि अब 2014-15 और 2015-16 में 4200 करोड़ रु दिए गए। किसानों को 15000 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दी जा चुकी है जबकि जिन किसानों के फसल बीमे का नुकसान है उसके दावे का भी 13000 करोड़ रु का भुगतान कराया गया है। खरीफ 2016 से नई फसल बीमा योजना आने से किसानों को और लाभ मिलेगा।

रोजगार सृजन पर पूरा ध्यान : कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। 2015-16 में 42253 करोड़ रु का व्यय किया गया। 63 फीसदी खर्च कृषि संसाधन प्रबंध और जल संरक्षण पर खर्च करने के लिए कहा गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 100 से बढ़ाकर 150 कार्य दिवस किए गए ताकि उनको कठिनाई से बचाया जा सके। इससे 20 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। 2015-16 में 33000 करोड़ मनरेगा के तहत आवंटित किए गए थे।

खाद्यान्न बढ़ाया : सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न कोटा भी राज्यों का बढ़ाया गया है। 11 राज्यों के बजाय अब 33 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है। 72.45 करोड़ लाभार्थी है जिसमें 55.33 करोड़ अकेले सूखा प्रभावित क्षेत्र के हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कहने पर खाद्यान्न कोटा भी बढ़ाया गया है।

कृते प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट